क्र. सं.	आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार प्रावधान	विवरण	आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार प्रावधान
		नकद में सकल प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हैं), सकल प्राप्तियों के 50% के बराबर राशि को ऐसे व्यवसाय का लाभ और प्राप्ति माना जाएगा।	
5.	धारा 44एई	एक करदाता, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय दस से अधिक माल वाहनों का मालिक नहीं है और ऐसी माल वाहनों को चलाने, किराए पर देने या पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगा हुआ है, उसकी आय की गणना की गई मानी जाएगी i) भारी माल वाहन के लिए प्रत्येक माह या माह के किसी भाग के लिए सकल वाहन भार के प्रति टन 1000/– रुपये की दर से, ii) भारी माल वाहन के अलावा अन्य वाहन के लिए प्रति माह या माह के किसी भाग के लिए 7,500/– रुपये की दर से	धारा 58
6.	धारा 43बी(एच)	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को देय कोई भी राशि केवल वास्तविक भुगतान पर ही दी जाएगी।	धारा 37(2)(एच)
7.	टीडीएस प्रावधान (192 से 196डी)	व्यक्ति या एचयूएफ जिनकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या व्यवसाय या पेशे से टर्नओवर 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। व्यवसाय के मामले में एक करोड़ रुपये; पेशे के मामले में पचास लाख रुपये; वित्तीय वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें कमीशन, किराया, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क आदि जैसे कुछ प्रकार के भुगतान किए जाने हैं, ऐसे भुगतानों पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।	धारा 393(1)

8.	धारा 194O	किसी व्यक्ति या एचयूएफ को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से माल बेचने या सेवाएं या दोनों प्रदान करने पर किए गए भुगतान पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, जहां पिछले वर्ष के दौरान ऐसी बिक्री या सेवाओं या दोनों की सकल राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है।	धारा 393(1) [तालिका: एसआई। क्र.सं. 8(v)]
9.	धारा 194Q	कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा किए गए कारोबार या व्यवसाय से कुल बिक्री, सकल प्राप्तियाँ दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, उसे माल की खरीद पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।	धारा 393(1) [सारणी: क्र.सं. 8(ii)]
10.	धारा 194आर	व्यक्ति या एचयूएफ जिनकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या व्यवसाय या पेशे से टर्नओवर 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। व्यवसाय के मामले में एक करोड़ रुपये; पेशे के मामले में पचास लाख रुपये; वित्तीय वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा व्यवसाय या पेशे के प्रयोग से उत्पन्न कोई लाभ या अनुलाभ प्रदान किया जाता है, ऐसे लाभों और अनुलाभों पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।	धारा 393(1) [सारणी: क्र.सं. 8(iv)]
11.	धारा 194एस	व्यक्ति या एचयूएफ जिनकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या व्यवसाय या पेशे से टर्नओवर 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। व्यवसाय के मामले में एक करोड़ रुपये; पेशे के मामले में पचास लाख रुपये; पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे भुगतानों पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होती है।	धारा 393(1) [तालिका: एसआई। क्र.सं. 8(v)]
12.	धारा 206सी	व्यक्ति या एचयूएफ जिनकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या व्यवसाय या पेशे से	धारा 394(1) [सारणी: क्र.सं. 1 से 5]

		टर्नओवर 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। व्यवसाय के मामले में एक करोड़ रुपये; पेशे के मामले में पचास लाख रुपये; वित्तीय वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें कुछ निश्चित प्रकृति की वस्तुएं जैसे कि शराब, लकड़ी, तेंदू पत्ता आदि बेची जाती हैं, ऐसी प्राप्तियों पर टीसीएस एकत्र करना आवश्यक नहीं है।	

आयकर विभाग

आयकर निदेशालय

(जन संपर्क, प्रकाशन व प्रचार)

छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

Income Tax India | @incometaxindia.official | @incometaxindiaofficial | @IncomeTaxIndia | @Income Tax India Official

October, 2025

स्पष्टीकरण: इस विवरणिका को विधिक दस्तावेज न समझा जाए।
अधिक जानकारी के लिए अधिनियम और नियम में संबंधित प्रावधानों से संदर्भ लिया जाए।

www.incometax.gov.in | www.incometaxindia.gov.in

आयकर विभाग

आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

एमएसएमई कर लाभ और प्रोत्साहन – मार्गदर्शिका

भाग–2

'एमएसएमई कर लाभ एवं प्रोत्साहन मार्गदर्शिका' के भाग 1 से जारी...

प्रश्न 8: एमएसएमई के लिए धारा 43बी (एच) के लाभों का वर्णन करें

उत्तर **आयकर अधिनियम की धारा 43बी** कुछ खर्चों (जैसे कर, पीएफ, ब्याज, आदि) को **केवल वास्तविक भुगतान के आधार पर** कटौती के रूप में अनुमति देती है (उपार्जन पर नहीं)।

परिणामस्वरूप, एमएसएमई के हितों की सुरक्षा के लिए एक नया खंड **43बी(एच)** प्रस्तुत किया गया।

✓ **धारा 43बी (एच) की मुख्य विशेषताएं:**

- **माल या सेवाओं** के लिए देय कोई राशि
  - o **एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान किए जाने पर ही इसे व्यय के रूप में दावा** किया जा सकता है।
- भुगतान की समय सीमा धारा 15 एमएसएमईडी अधिनियम
  - o **15 दिनों** के भीतर (यदि कोई लिखित समझौता नहीं है)।
  - o यदि समझौता मौजूद है → **अधिकतम 45 दिन।**

⚠ **खरीदारों के लिए परिणाम**

- यदि एमएसएमई को **भुगतान में 15–45 दिनों से अधिक** देरी से किया जाता है, तो वह खर्च वास्तविक भुगतान होने तक **क्रेता की पुस्तकों में अस्वीकृत** रहेगा
- इससे समय पर निपटान होता है, जिससे एमएसएमई के **नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)** में सुधार होता है ।

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक लाभ**

- विलंबित भुगतान के विरुद्ध सशक्त **कानूनी संरक्षण** ।
- **तेजी से कार्यशील पूंजी चक्र (वर्किंग कैपिटल साइकिल)** सुनिश्चित करता है।
- एमएसएमई की ऋण–योग्यता और वित्तीय स्थिरता में सुधार ।

प्रश्न 9: धारा 43बी(एच) के तहत लाभ प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं?

उत्तर: किसी खरीदार द्वारा एमएसएमई को किए गए भुगतान पर कटौती का दावा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए

1. **एमएसएमई पंजीकरण**
   - o आपूर्तिकर्ता को एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अंतर्गत **उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत** होना चाहिए।
2. **लेन–देन की प्रकृति**
   - o क्रेता को पंजीकृत एमएसएमई से ही **माल** या **सेवाएं** खरीदनी होंगी।
3. **सुरक्षा क्षेत्र**
   - o यह लाभ केवल पंजीकृत **एमएसएमई** पर लागू होता है।
   - o अपंजीकृत एमएसएमई को इस खंड के अंतर्गत संरक्षण नहीं मिलता है।
4. **खरीदार की जिम्मेदारी**
   - o खरीदारों को **15–45 दिनों के भीतर बकाया राशि का पता लगाना और उसका निपटान** करना होगा (एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार)।

- o **वास्तविक भुगतान होने तक क्रेता का व्यय अस्वीकृत** कर दिया जाएगा।

◎ **व्यावहारिक प्रभाव**

- **एमएसएमई:** समय पर भुगतान की सुरक्षा सुनिश्चित।
- **क्रेता:** कर अस्वीकृति से बचने के लिए देय भुगतान अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य।

प्रश्न 10: एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 क्या है?

उत्तर: **एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 में** वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले **सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई)** को भुगतान करने के लिए खरीदारों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

✓ **धारा 15 के तहत भुगतान नियम**

1. **लिखित समझौता अनिवार्य**
   - सहमत तिथि **को या उससे पहले** किया जाना चाहिए।
   - हालाँकि, समझौते के बावजूद, स्वीकृति / मान्य स्वीकृति से **अवधि 45 दिनों से अधिक** नहीं हो सकती।
2. **यदि कोई लिखित समझौता नहीं**
   - भुगतान माल या सेवाओं की स्वीकृति / मान्य स्वीकृति के दिन से **15 दिनों के भीतर** किया जाना चाहिए।
3. **अधिकतम सीमा**
   - **हर स्थिति में**, अनुबंध की शर्तों पर ध्यान दिए बिना, भुगतान स्वीकृति / मान्य स्वीकृति के **45 दिनों के भीतर** किया जाना चाहिए।

◎ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक प्रभाव**

- समय पर भुगतान के लिए **कानूनी सुरक्षा** प्रदान करता है।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की **नकदी प्रवाह स्थिति** को मजबूत करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि खरीदार **45 दिनों** से अधिक भुगतान में देरी करने के लिए अनुबंध की शर्तों का दुरुपयोग न कर सकें।

प्रश्न 11: एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 क्या है?

उत्तर:

✓ **धारा 16–विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना**

धारा 15 के तहत अपेक्षित भुगतान करने में विफल रहता है

- क्रेता को **मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज** का भुगतान करना होगा।
- यह ब्याज दर **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** द्वारा अधिसूचित बैंक दर से **तीन गुना अधिक** है
- **यह दंड किसी भी विपरीत समझौते या कानून के बावजूद** लागू होता है।

☞ *इसका मतलब यह है कि खरीदार जुर्माने से बच नहीं सकते, भले ही अनुबंध में इसके विपरीत उल्लेख किया गया हो।*

✓ **धारा 17 – भुगतान दायित्व का प्रवर्तन**

- एमएसएमई आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के लिए
  - o क्रेता को धारा 16 के अंतर्गत मूल राशि और ब्याज दोनों का भुगतान करना होगा

✓ **एमएसएमई के लिए व्यावहारिक प्रभाव**

- बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त कानूनी समर्थन।
- विलंबित भुगतान के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि एमएसएमई को विलंबित निपटान के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव के लिए मुआवजा मिले।

प्रश्न 12: उद्यम पंजीकरण के प्रमुख लाभ क्या हैं?

उत्तर: **उद्यम** के तहत पंजीकृत एमएसएमई को वित्तीय, परिचालन और कानूनी समर्थन के अतिरिक्त कई लाभ मिलते हैं ।

✓ **प्रमुख लाभ**

1. **संपार्श्विक–मुक्त ऋण (Collateral-Free Loans)**
   - o **ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएसई)** के अंतर्गत संपार्श्विक / सुरक्षा की आवश्यकता के बिना ऋण तक पहुंच।
2. **बौद्धिक संपदा समर्थन**
   - o नवाचार और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए **पेटेंट और ट्रेडमार्क पंजीकरण शुल्क** पर सब्सिडी ।
3. **लागत बचत**
   - o **बिजली बिलों में रियायतें .**
   - o गुणवत्ता मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए **आईएसओ प्रमाणन लागत की प्रतिपूर्ति।**
4. **सरकारी निविदा वरीयता**
   - o **सार्वजनिक खरीद और सरकारी निविदाओं** में प्राथमिकता ।
5. **योजनाओं और सब्सिडी तक पहुंच**
   - o **केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं,** सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आसान पात्रता ।
6. **विलंबित भुगतान सुरक्षा**
   - o **एमएसएमईडी अधिनियम** के तहत कानूनी सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि खरीदार को **45 दिनों** के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना होगा, जो आयकर अधिनियम की **धारा 43बी (एच) द्वारा समर्थित** है ।

◎ **व्यावहारिक प्रभाव**

- **ऋण लेने में सुगमता** होती है और ऋण कम लागत पर मिल जाता है।
- निविदाओं और आईपी संरक्षण के माध्यम से **बाजार के अवसरों** को बढ़ाता है।
- समय पर भुगतान सुरक्षा के साथ **वित्तीय स्थिरता** को मजबूत करता है

प्रश्न 13 एमएसएमई से संबंधित टीडीएस प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: एमएसएमई को केवल उनकी स्थिति के कारण आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस प्रावधानों से छूट नहीं है। हालाँकि, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सभी प्रासंगिक टीडीएस धाराओं की विस्तृत सूची, जो एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पर लागू हो सकती है या उनसे संबंधित हो सकती है – चाहे वे कटौतीकर्ता (भुगतान करने वाले) हों या कटौती पाने वाले (भुगतान प्राप्त करने वाले) हों, निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार प्रावधान	विवरण	आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार प्रावधान
1.	धारा 44एए	कोई भी व्यक्ति जिसकी व्यवसाय या पेशे से आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए या कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए पिछले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में खाता बही और अन्य दस्तावेज बनाए रखना आवश्यक नहीं है।	धारा 62
2.	धारा 44एबी	कोई भी व्यक्ति जिसका i) कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां और व्यवसाय में सभी भुगतानों का योग एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है (यदि सकल प्राप्तियां और नकद में सकल प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, तो दस करोड़ रुपये) ii) पेशे में सकल प्राप्तियां पचास लाख रुपये से अधिक नहीं हैं में लेखा–जोखा प्रस्तुत करने वाले को ऐसे पिछले वर्ष के लिए अपने लेखा–पुस्तकों का लेखा–परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।	धारा 63
3.	धारा 44एडी	कोई भी व्यक्ति, एचयूएफ या साझेदारी फर्म, लेकिन एलएलपी नहीं, जिसका पिछले वर्ष में कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है (यदि नकद में सकल प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हैं तो तीन करोड़ रुपये), कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के 8% (नकद के अलावा अन्य तरीके से प्राप्त प्राप्तियों के मामले में 6%) के बराबर राशि को ऐसे व्यवसाय का लाभ और प्राप्ति माना जाएगा।	धारा 58
4.	धारा 44एडीए	कोई भी व्यक्ति या साझेदारी फर्म, किन्तु एलएलपी नहीं, जिसकी पिछले वर्ष में सकल प्राप्तियां पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हैं (पचहत्तर लाख रुपए, यदि	धारा 58